# He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 2363]
 नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2013/आश्विन 16, 1935

 No. 2363]
 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2013/ASVINA 16, 1935

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

**का.आ. 3047(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लम्बाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :—

सारणा				
राष्ट्रीय राजमार्ग	खंड	लंबाई (किमी में)		
संख्या				
(1)	(2)	(3)		
83	पटना-गया-डोभी	कि.मी. 0.000 से 127.000		
	(बिहार राज्य में)			

[फा. सं. एनएच-14013/17/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

# NOTIFICATION

# New Delhi, the 8th October, 2013

**S.O.** 3047(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the said Table, of the National Highway number as specified in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
83	Patna-Gaya- Dobhi In the State of Bihar	From Km. 0.000 to Km 127.000

[F. No. NH-140 13/17/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

### अधिसूचना

# नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

**का.आ. 3048(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीान पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), की अधि सूचना संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी 143.200 से किमी 207.200 (छपरा-हाजीपुर) तक	
	खंड को छोड़कर] रारा सं. 28[(किमी 365.570 से किमी 627.000 (मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी से	बिहार राज्य
	गोपालगंज-उत्तर प्रदेश /बिहार सीमा और मुजफ्फरपुर से बरौनी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं.	ाबहार राज्य सरकार''।
	28बी, सं. 30 [(किमी 181.300 से किमी 117.000 (पटना -बक्सर) और किमी 181.300 से किमी	सरकार ।
	231.950(पटना-बख्तियारपुर) तक खंड को छोड़कर] रारा सं. 30ए, सं. 31 [(किमी 153.300 से	
	किमी 447.000 (खगड़िया-बख्तियारपुर-पूर्णिया) और किमी 470.000 से किमी 476.150 (पूर्णिया से	
	गैरकट्टा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 77 [(किमी 0.000 (रामाशीष चौक) से किमी 89.000	
	(हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 80, [किमी 1.430 से किमी	
	70.000 (मोकामा–मुंगेर तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 81, रारा सं. 82, रारा सं. 83 [किमी 0.000	
	से किमी 127.000 (पटना-गया-डोभी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 84, [किमी 0.000 से किमी	
	75.000 (पटना-बक्सर) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 85, [कि.मी. 0.000 से कि.मी. 94.700	
	(गोपालगंज-छपरा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 98, रारा सं. 99, रारा सं. 101, रारा सं. 102,	
	रारा सं. 103, रारा सं. 104, रारा सं. 105, रारा सं. 106, रारा सं. 107, रारा सं. 110 और नई राष्ट्रीय	
	राजमार्ग सं. 333 [रारा-33 (नई सं.) बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई चकई को	
	जोड़ने वाला राजमार्ग ] नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327 विस्तार रारा-327 (नई सं.) गलगलिया से प्रारंभ	
	होने वाला (पश्चिम बंगाल/बिहार) ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज,	
	पिपरा, सुपौल को जोडने वाला और भरियाही बाजार रारा-231 के बनगांव पर समाप्त होने वाला	
	राजमार्ग )], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए [(रारा-31 (नई सं.) पर कटिहार से प्रारंभ होने वाला	
	राजमार्ग] और [(रारा-27 (नई सं.) पर पूर्णिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग)], नई रारा सं. 122ए,	
	नई रारा सं. 133 और नई रारा सं. 327ए के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा. सं. एनएच-14013/17/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 2411(अ), 7 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 8th October, 2013

**S.O. 3048**(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"4	So much of National Highways No. 2C, No. 19 [excluding from Km.143.200 to	State
	Km.207.200 (Chhapara-Hajipur)], No.28 [excluding from Km. 365.570 to Km. 627.000	Government
	(from Muzzaffarpur-Piprakothi to Gopalganj-Uttar Pradesh/Bihar Border and	of Bihar".
	Muzzaffarpur to Barauni)], No. 28B, No. 30[ excluding from Km.181.300 to Km.117.000	
	(Patna-Buxar) and from Km.181.300 to Km.231.950 (Patna-Bakhtiyarpur)], No. 30A,	
	No. 31 [excluding from km.153.300 to Km. 447.000 (Khagaria-Bakhtiyarpur-Purnea)	
	and Km. 470.000 to Km. 476.150 (Purnea to Goyerkata)], No.77 [excluding from km.	
	0.000 (Ramashish Chowk) to km. 89.000 (from Hajipur-Muzaffarpur-Sonbarsa)], No.	
	80 [excluding from km.1.430 to km.70.000 (Mokama-Munger), No.81, No.82, No.83	
	[excluding from km. 0.000 to km. 127.000 (Patna-Gaya-Dobhi section)], No.84	
	[excluding from Km.0.000 to 75.000 (Patna-Buxar)], No. 85 [excluding from km.0.000	
	to km.94.700 (from Gopalganj-Chhapra)], No.98, No. 99, No. 101, No.102, No.103,	
	No.104, No.105, No.106, No.107, No.110, new National Highway number 333 [the	
	highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new number) connecting Kharagpur,	
	Laxmipur, Jamui, Chakai], new National Highway number 327 Extension [the highway	
	starting from Galgalia on NH-327 (new number) (West Bengal/Bihar) connecting	
	Thakurganj, Bahadurganj, Araria, Raniganj, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supaul	
	and terminating at (Bariyahi Bazar) Bangaon on NH-231 (new number)], new National	
	Highway number 131A [the highway starting from Katihar on NH-31 (new number)	
	and terminating at Purnea on NH-27 (new number)], new NH No. 122A, new NH	
	No. 133 and new NH No. 327A as are situated within the State of Bihar.	

[F. No. NH-14013/17/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note : — The principal notification was published vide number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2411(E), dated the 7th August, 2013.